# केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित की गई कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता

**(नियम 6 और नियम 7)**

**नियम-6. कार्यक्रम संहिता** – (1) केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो :-

(क) भाईचारे और मर्यादा के विरूद्ध अपराध हो;

(ख) मित्र देशों की आलोचना करता हो;

(ग) धार्मिक समूहों के धर्मों अथवा समुदायों अथवा दृश्यों अथवा भावनाओं को आहत करने वाला हो अथवा जिससे साम्प्रदायिक भावनाएं प्रोत्साहित होती हों;

(घ) किसी अश्लील, मानहानि की बात से संबंधित हो, जानबूझकर झूठे और भड़काऊ व्यंग्य तथा आधे-अधूरे सच से संबंधित हो;

(ङ) हिंसा को भड़का सकता है अथवा इसे प्रोत्साहित कर सकता है अथवा जिसमें कानून और व्यवस्था के विरूद्ध कोई बात दी गई है अथवा जिससे राष्ट्र विरोधी भावनाएं प्रोत्साहित होती हों;

(च) न्यायालय की अवमानना करने वाली किसी बात से संबंधित हो;

(छ) राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर लांछन लगाने से संबंधित हो;

(ज) राष्ट्र की एकता के विरूद्ध किसी बात से संबंधित हो;

(झ) व्यक्तिगत रूप से देश के किसी व्यक्ति, अथवा समाज के कतिपय समूहों, भागों, सार्वजनिक और नैतिक जीवन की आलोचना, झूठी निंदा अथवा इसके अहित से संबंधित हो;

(ञ) वेश्यावृत्ति अथवा अंधविश्वास को प्रोत्साहित करने से संबंधित हो;

(ट) किसी महिला, उसके स्वरूप अथवा उसके शरीर का किसी भी प्रकार से चित्रण करके महिलाओं को बदनाम करने से संबंधित हो अथवा उसके शरीर के किसी भाग को इस प्रकार प्रस्तुत करने से संबंधित हो जिससे अश्लीलता फैलती हो अथवा महिलाओं के अपमान से संबंधित हो अथवा जिससे सार्वजनिक नैतिकता अथवा मनोबल के कमजोर होने, भ्रष्ट होने अथवा क्षति होने की संभावना हो;

(ठ) बच्चों को बदनाम करने से संबंधित हो;

(ड) ऐसे दृश्यों अथवा शब्दों से संबंधित हो जिनसे कतिपय, नृजातीय, भाषायी और धार्मिक समूहों के चित्रांकन में झूठी निंदा, व्यंग्यात्मकता तथा अभिमान झलकता हो;

(ढ) सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित हो;

(ण) अप्रतिबंधित आम प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त नहीं है।

''बशर्ते कोई फिल्म अथवा कोई फिल्मी गीत अथवा फिल्म प्रोमो अथवा फिल्म ट्रेलर अथवा म्यूजिक वीडियो अथवा म्यूजिक एल्बम अथवा इनके प्रोमो चाहे वे भारत में बनाए गए हों अथवा विदेश में, को जब तक इन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) द्वारा भारत में अप्रतिबंधित आम प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त प्रमाणित नहीं किया जाता, केबल सेवा के माध्यम से प्राप्त नहीं किए जाएंगे।''

व्याख्या – इस खंड के उद्देश्यार्थ ''अप्रतिबंधित आम प्रदर्शनी'' अभिव्यक्ति का अर्थ वही होगा जो इसे सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) में प्रदान किया गया है।

(2) केबल ऑपरेटर को अपनी केबल सेवा में ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए जो महिलाओं को मर्यादा, मनोबल और चरित्र निर्माण गुणो से संबंधित सकारात्मक और अग्रणी भूमिका में प्रस्तुत करते हों।

(3) कोई केबल ऑपरेटर अपनी केबल सेवा में किसी ऐसे कार्यक्रम जिसके संबंध में कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के तहत कापीराइट जारी है, तब तक प्राप्त नहीं करेगा अथवा शामिल नहीं करेगा जब तक कि उसे इस अधिनियम के तहत इस प्रकार के कार्यक्रम के बारे में कापीराइट रखने वाले द्वारा लाइसेंस प्रदान न कर दिया जाए।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि बच्चों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों में अभद्र भाषा अथवा हिंसा को भड़काने वाले दृश्य शामिल न किए जाएं।

(5) जब बड़ी संख्या में बच्चे कार्यक्रम देख रहे हों तब केबल सेवा में बच्चों के लिए अनुपयुक्त कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(6) ''कोई केबल ऑपरेटर अपनी केबल सेवा में ऐसे किसी टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल को प्राप्त नहीं करेगा अथवा शामिल नहीं करेगा जिसे केन्द्र सरकार ने भारत के क्षेत्र के भीतर दिखाने के लिए पंजीकृत नहीं किया है।''

''बशर्ते उपर्युक्त ऑपरेटर अपनी केबल सेवा में ऐसे किसी टेलीविजन प्रसारण अथवा चैनल को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए अथवा इस प्रकार के पंजीकरण की अनुमति प्रदान किए जाने अथवा अस्वीकृत किए जाने तक इनमें से जो भी पहले हो तक प्राप्त करना अथवा शामिल करना जारी रख सकता है जिसके संबंध में केन्द्र सरकार को 11 मई, 2006 को अथवा इससे पहले पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।''

''इसके अतिरिक्त बशर्ते दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 से पहले अपलिंक करने के लिए प्रदान की गई अनुमति के अनुसार भारत से चैनलों के अपलिंक को ''पंजीकृत'' टेलीविजन चैनल माना जाएगा और इन्हें केबल सेवा में प्राप्त किया जा सकता है अथवा शामिल किया जा सकता है।''

**नियम-7. विज्ञापन संहिता** – (1) केबल सेवा में प्राप्त किए गए विज्ञापन को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि यह देश के कानूनों के अनुरूप हो और यह ग्राहकों की नैतिकता, मर्यादा और धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध अपराध नहीं होना चाहिए।

(2) ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जो-

(i) किसी नस्ल, जाति, रंग, मत और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो;

(ii) भारतीय संविधान के किसी प्रावधान के विरूद्ध हो

(iii) लोगों को अपराध करने, अव्यवस्था फैलाने अथवा हिंसा भड़काने, कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित करने अथवा किसी भी प्रकार से हिंसा अथवा अश्लीलता का गुणगान करने के आशय से किया गया हो;

(iv) अपराध करने की प्रवृत्ति को वांछनीय रूप में प्रस्तुत करता हो;

(v) किसी राष्ट्रीय प्रतीक अथवा संविधान के किसी भाग अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी राष्ट्रीय नेता अथवा किसी राज्य के विख्यात व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रति असम्मान हो;

(vi) महिलाओं का चित्रण करने में सभी नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता हो। विशेष रूप से ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे महिलाओं की अभद्र छवि प्रस्तुत होती हो। महिलाओं को इस प्रकार से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी अकर्मण्य तथा आज्ञाकारी की छवि पर विशेष ध्यान दिया जाता हो और उन्हें परिवार तथा समाज में अधीनस्थ, गौण भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो। केबल ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी केबल सेवा के कार्यक्रमों में किया गया महिलाओं का चित्रांकन सुरूचिपूर्ण और शालीन है तथा भाईचारा और शालीनता के सुस्थापित मानदंडों के अनुरूप है;

(vii) दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहित करता हो;

(viii) निम्नलिखित के उत्पादन, विक्रय अथवा उपभोग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करता हो –

(क) सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, शराब, एल्कोहल, नशीले पदार्थ अथवा अन्य मादक द्रव्य;

बशर्ते किसी ऐसे उत्पाद जो किसी ऐसे ब्राण्ड अथवा लोगों का उपयोग करता है जिसका उपयोग सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों, शराब, एल्कोहल, नशीले पदार्थ अथवा अन्य मादक द्रव्यों के लिए भी किया जाता है, का विज्ञापन केबल सेवा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है कि :-

(i) इस प्रकार के विज्ञापन का स्टोरी बोर्ड अथवा दृश्य विज्ञापित किए जा रहे उत्पाद को ही दर्शाने वाला होना चाहिए न कि किसी भी रूप में निषिद्ध उत्पादों को दर्शाने वाला;

(ii) इस प्रकार के विज्ञापन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध उत्पादों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए;

(iii) इस प्रकार के विज्ञापन में निषिऋ उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई गूढ शब्द अथवा वाक्यांश नहीं होना चाहिए;

(iv) इस प्रकार के विज्ञापन में निषिद्ध उत्पादों से संबंधित किसी विशेष रंग अथवा चित्र अथवा प्रस्तुतीकरण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए;

(v) इस प्रकार के विज्ञापन में अन्य उत्पादों का विज्ञापन करते समय निषिद्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करने वाली किसी विशेष परिस्थिति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए;

इसके अतिरिक्त बशर्ते –

(i) विज्ञापन करने वाला पंजीकृत सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की प्रति सहित इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करेगा कि सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, शराब, एल्कोहल, नशीले पदार्थ अथवा अन्य नशीले द्रव्य के नाम से शामिल किए गए उत्पाद का वितरण तर्कसंगत मात्रा में किया जाता है और वह पर्याप्त संख्या में दुकानों पर उपलब्ध है जहां उसी श्रेणी के अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं तथा उनके इस प्रकार के विज्ञापन का प्रस्तावित व्यय उस उत्पाद के वास्तविक विक्रय टर्नओवर से अप्रासंगिक नहीं होगा।

(ii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वास्तविक ब्राण्ड के माने जाने वाले ऐसे सभी विज्ञापनों को प्रसारित करने अथवा पुनः प्रसारित करने के लिए इनकी अवधि बढ़ाने से पहले इनकी पूर्व-समीक्षा करेगा और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से यह प्रमाणित कराएगा कि ये अप्रतिबंधित आम प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त हैं तथा प्रथम परंतुक के उपखण्ड (i) से (v) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ख) शिशुओं के वैकल्पिक दूध पदार्थ, दूध पिलाने की बोतल और शिशु खाद्य सामग्री।

(3) ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसकी वस्तुएं मुख्य रूप से अथवा पूर्ण रूप से धार्मिक अथवा राजनीतिक स्वरूप की हैं; किसी धार्मिक अथवा राजनीतिक उद्देश्य से विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए।

(3क) किसी विज्ञापन में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला उल्लेख नहीं होना चाहिए।

(4) विज्ञापित माल अथवा सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथा-उल्लिखित कोई कमी अथवा खामी नहीं होगी।

(5) इस प्रकार के विज्ञापन में किसी ऐसी बात का उल्लेख नहीं किया जाएगा जिससे आम जनता में यह धारणा पैदा होने की संभावना है कि विज्ञापित उत्पाद अथवा इसमें शामिल सामग्री में कुछ विशेष अथवा चमत्कारी अथवा पारलौकिक गुण अथवा गुणवत्ता है जिसे साबित करना कठिन है।

(6) विज्ञापन के चित्र और श्रव्य सामग्री में केवल शोर-शराबा नहीं होगा।

(7) केबल सेवा में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं लाया जाएगा जो बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो अथवा उनमें अस्वास्थप्रद कार्यों के प्रति रूचि पैदा करता हो अथवा उन्हें भीख मांगते हुए अथवा अमर्यादित कार्य करते हुए अथवा अशोभनीय रूप में दर्शाता हो।

(8) सभी प्रकार के विज्ञापनों में अशोभनीय, अश्लील, विचारों में उग्रता लाने वाले, अरूचिकर अथवा आपराधिक सिद्धांतों अथवा उपचारों से बचा जाएगा।

(9) ऐसा कोई विज्ञापन केबल सेवा में नहीं लाया जाएगा जो समय-समय पर भारत में आम प्रदर्शनी के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.), मुम्बई द्वारा यथा-स्वीकृत विज्ञापन से संबंधित स्व-विनियमन संहिता का उल्लंघन करता हो।

(10) सभी विज्ञापन, कार्यक्रम से स्पष्ट रूप से अलग होने चाहिए और किसी भी प्रकार से ये उस कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने वाले नहीं होने चाहिए अर्थात परदे के निचले भाग का उपयोग कार्यक्रम के साथ स्थिर अथवा घूमते हुए किसी शीर्षक को दर्शाने में नहीं किया जाना चाहिए।

(11) किसी कार्यक्रम में बारह मिनट प्रति घंटे से अधिक समय का विज्ञापन शामिल नहीं किया जाएगा और इसमें दस मिनट प्रति घंटा वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए तथा दो मिनट प्रति घंटा चैनल के स्व-प्रोत्साहन कार्यक्रमों के लिए हो सकती हैं।